

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2019-20/488

दिनांक-24-9-19

आदेश

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्थान स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से ऑनलाईन विभागीय वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in के Home Page पर Online Scholarship पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाईन पंजीकरण, आवेदन पत्र भरने, शिक्षण महाविद्यालय को प्राप्त समस्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच उपरान्त स्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों को संबंधित महाविद्यालयों द्वारा नोडल अधिकारी को ऑनलाईन (Forward) करने एवं नोडल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त पात्र आवेदन पत्रों को आयुक्तालय को Forward करने एवं आयुक्तालय द्वारा स्वीकृति जारी कर, स्वीकृतशुदा आवेदन पत्रों का संबंधित विद्यार्थियों का भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में ऑनलाईन भुगतान करने एवं आक्षेप योग्य आवेदन पत्रों को संबंधित महाविद्यालयों/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (Forward) करने के लिये निम्नानुसार संशोधित तिथियां प्रस्तावित की जाती हैं :-

क्र.सं.	विषय वस्तु/छात्रवृत्ति का नाम	निर्धारित तिथियां
1	विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजना - वर्ष- 2019-20 के नियम, शर्तें इत्यादि विभागीय वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in के Home Page पर Online Scholarship पर क्लिक कर जानकारी प्राप्त कर नीचे दी गई तिथि एवं दिशा निर्देश अनुरूप ऑनलाईन आवेदन करें।	-
2	उक्त छात्रवृत्ति हेतु राजस्थान स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालयों का पेपरलेस ऑनलाईन पंजीकरण, प्रोफाइल अपडेशन एवं उनके अधीन समस्त महाविद्यालय का पंजीयन/पाठ्यक्रम सत्यापन अनुमोदन करने एवं छात्राध्यापिकाओं के लिए पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिये ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि	18 सितम्बर 2019 से प्रारम्भ
3	उपर्युक्त छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिये छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के लिये पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की अंतिम तिथि	31 अक्टूबर 2019 तक
4	महाविद्यालयों को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की गहन जांच कर पात्र आवेदन पत्र (जिला नोडल अधिकारी / प्राचार्य) को फॉरवर्ड करने की अंतिम तिथि	07 नवम्बर 2019
5	जिला नोडल अधिकारी द्वारा महाविद्यालयों से प्राप्त विधवा / परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजनान्तर्गत समस्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त आयुक्तालय को फारवर्ड करना, अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) महाविद्यालय/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुनः फॉरवर्ड) करने की अंतिम तिथि	11 नवम्बर 2019

6	स्वीकृतशुदा विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजना के समस्त आवेदन पत्रों को आयुक्तालय द्वारा ऑनलाईन बिल तैयार करने की अंतिम तिथि	15 नवम्बर 2019
7	स्वीकृतशुदा विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजनान्तर्गत आयुक्तालय द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाईन बिल बनाकर, बजट मद अंकित करवाकर आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर ट्रेजरी में भिजवाने की अंतिम तिथि	20 दिसम्बर 2019
8	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजनान्तर्गत ट्रेजरी से पारितशुदा बिलों की आयुक्तालय द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के परिवारों के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में राशि हस्तान्तरण करने की अंतिम तिथि	22 दिसम्बर 2019

योजना के आवेदन पत्र ज्यों-ज्यों प्राप्त होते जावें उन्हें त्यों-त्यों आयुक्तालय में फारवर्ड करना सुनिश्चित करें।

प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि निजी महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की किसी भी माह में आकस्मिक रूप से औचक निरीक्षण कर उपस्थिति का स्वयं/प्रतिनिधि से भौतिक सत्यापन कराने के जाँच उपरान्त ही छात्राध्यापिका का फार्म ऑनलाईन फारवर्ड करें।

आयुक्तालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना अनुरूप कार्य करें। विद्यार्थी द्वारा भामाशाह कार्ड बनवाने की रसीद के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार किया जावें।

छात्रवृत्ति पोर्टल 2019-20 पर उपर्युक्त छात्रवृत्ति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु शीर्ष महाविद्यालयों एवं विद्यार्थियों के लिए दिशा-निर्देश :-

राज्य में स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा hte.rajasthan.gov.in के Home Page पर Online Scholarship पर क्लिक कर एस.एस.ओ. (single sign on) आई.डी. के द्वारा पंजीकरण करने के उपरान्त, संस्थाओं की प्रोफाइल अपडेशन, पाठ्यक्रम मैपिंग आदि कर इस विभाग को पेपरलेस ऑनलाईन फॉरवर्ड कर राज्य स्तरीय समिति से ऑनलाईन सत्यापन/अनुमोदन करवाना आवश्यक है। इसके अभाव में अधीनस्थ महाविद्यालयों का ऑनलाईन सत्यापन/अनुमोदन किया जाना संभव नहीं होगा।

1. राज्य में स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा hte.rajasthan.gov.in के Home Page पर Online Scholarship पर क्लिक कर एस.एस.ओ. (single sign on) आई.डी. के द्वारा पंजीकरण करने के उपरान्त, संस्थाओं की प्रोफाइल अपडेशन, पाठ्यक्रम मैपिंग आदि कर उससे संबंधित शीर्ष संस्था को (Higher Authority) को ऑनलाईन फारवर्ड कर संबंधित शीर्ष संस्था से ऑनलाईन सत्यापन/अनुमोदन करवाना आवश्यक है। इसके अभाव में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान प्रदर्शित नहीं होगा।

2. क्र.सं.-1 पर विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजना में विधवा/ परित्यक्ता महिला आवेदन हेतु पात्र है। विस्तृत विवरण हेतु hte.rajasthan.gov.in के Home Page पर Online Scholarship पर क्लिक कर जानकारी प्राप्त करें।
3. आय का घोषणा पत्र एक पृष्ठीय निर्धारित प्रपत्र-द में ही बनाकर मूल ही स्कैन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। पिता जीवित होने की स्थिति में पिता द्वारा पिता की मृत्यु होने की स्थिति में माता द्वारा, माता-पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में संरक्षक द्वारा, माता-पिता एवं संरक्षक तीनों ही नहीं होने की स्थिति में स्वयं द्वारा, विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा तथा विधवा/परित्यक्ता की स्थिति में स्वयं द्वारा आय की घोषणा की जावेगी। माता-पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय प्रमाण पत्र/फार्म नं. 16/आयकर रिटर्न स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।
4. विद्यार्थियों की आधारभूत सूचनाएँ जैसे-नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जा रही है। आपके शैक्षणिक रिकार्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक परिवर्तन कराना चाहता है तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. विद्यार्थी की छात्रवृत्ति राशि भामाशाह कार्ड में अंकित विद्यार्थी के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। भामाशाह पोर्टल में विद्यार्थी के नाम के सामने विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या नहीं होने की स्थिति में भामाशाह कार्ड में दिये गये परिवार के मुखिया के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरण करवाना चाहता है तो विद्यार्थी को भामाशाह पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा।
6. विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक संस्थान को दी गई फीस की मदों का पूर्ण विवरण छात्रवृत्ति पोर्टल पर अंकित करवाना होगा तदुपरान्त नियमानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा सकेगी।
7. विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. विद्यार्थी को आक्षेप की पूर्ति के लिए भी अधिकतम तीन दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि विद्यार्थी तीन दिन में आक्षेप की पूर्ति नहीं करता है तो ऐसा ऑनलाईन आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

राजस्थान स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालयों/राज्यवित्त पोषित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन पत्र, विद्यार्थी जिस जिले में अध्ययनरत है उस जिले के प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी को ऑनलाईन फॉरवर्ड किए जाएंगे। जिला नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्तालय को ऑनलाईन फॉरवर्ड किए जाएंगे।

(प्रदीप कुमार बोरड़)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2019-20/ 489-453 दिनांक- 24-9-19

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर।
7. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, (माध्यमिक/प्राथमिक) जयपुर।
8. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
10. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर।
11. निदेशक विशेष योग्यजन, जयपुर।
12. निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
13. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर।
14. निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
15. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान।
16. जिला कलेक्टर (समस्त)
17. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
18. संयुक्त निदेशक (अकादमिक), आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर, जयपुर।
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
20. समस्त कोषाधिकारी राजस्थान।
21. रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर/कोटा विश्वविद्यालय कोटा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर/महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर/श्री भृतहरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर/बृज विश्वविद्यालय भरतपुर, गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, बासवाड़ा, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय समस्त राजस्थान।
22. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, (समस्त) समस्त राजस्थान।
23. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को उपरोक्तानुसार वेबसाइट पर अपलोड करवाने।
24. सहायक निदेशक (क्षेत्रीय), जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
25. प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी, समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय राजस्थान को समयबद्ध कार्यक्रम अनुरूप ऑनलाईन आवेदन जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(एन.एल.शर्मा)

वित्तीय सलाहकार